न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 738–I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–8–2014 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक

.....

1– रामप्रसाद बल्द स्व. गनेश पटैल
2– टीकाराम बल्द स्व. गनेश पटैल
3– जगरानी बेवा गनेश पटैल
तीनों निवासी करीला तहसील व जिला सागर
4– मेसर्स अरिहंत बिल्डर्स
द्वारा प्रदीप कुमार वल्द लक्ष्मीचंद जैन
निवासी बाहूवली कालोनी सागर
तहसील व जिला सागर ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– संभागीय आयुक्त (राजस्व) सागर
2– म0प्र0 शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,
नजूल शाखा सागर,
3– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, सागर ——— अनावेदकगण

.....

श्री आर.व्ही.एस. गुर्जर, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

आदेश

(आज दिनांक 17–08–2015 को पारित)

.....

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, सागर संभाग, सागर के स्वमेव निगरानी प्र0क0 150/अ–90(बी–3)/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि मौजा ग्राम करीला तहसील व जिला सागर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 19 में से रकबा 1.54 खसरा नं. 28/3 रकबा 0.62 एवं खसरा नं. 20/2 रकबा 0. 07 एकड़ कुल

2.23 एकड़ एवं सर्वे नं. 22/2 में से 23"x40" वर्गफुट लगभग 0.02 एकड़ भूमि आवेदकगण के पितृ पुरूष स्व. गनेश पटैल बल्द मोहनलाल पटैल निवासी भगवान गंज सागर ने धारक शिवराजसिंह को प्रतिफल देकर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 27–01–1967 से क्रय की थी । भूमि विक्रय के उपरांत शिवराजसिंह द्वारा स्व. गनेश पटेल को कब्जा खास मालिकाना करा दिया था । उक्त विक्रयपत्र के आधार पर स्व. गनेश का क्रयशुदा भूमि पर विधिवत राजस्व अभिलेख में नामांतरण किया जाकर उसे ऋण पुस्तिका प्रदान की गई और स्व. गनेश पटैल उक्त भूमि पर सब्जी लगाने का व्यवसाय कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा है ।

यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 27–1–67 को ही शिवराज सिंह ने सर्वे नं. 19/2 रकबा 2.50 एकड़ भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से मार्तण्ड सिंह को विक्रय किया जाकर कब्जा दे दिया गया था । मार्तण्ड सिंह ने दिनांक 27–1–67 को क्रय की गई भूमि सर्वे नं. 19/2 रकबा 2.50 में से 0.12 डेसीमल भूमि का विक्रय दिनांक 28–1–67 को आवेदकगण के पितृ पुरूष गनेश पटेल को किया गया जिस पर से गनेश पटेल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया । इस प्रकार गनेश पटेल द्वारा 2.37 एकड़ भूमि पर मालकाना हक व कब्जा पाया था।

यह तर्क दिया गया है कि स्व. गनेश पटेल दिनांक 7–7–76 में देहांत हो गया देहांत के उपरांत उपरोक्त भूमियों पर राजस्व न्यायालय द्वारा फोती दर्ज कर स्व. गनेश बल्द मोहनलाल पटेल का नाम काटकर स्व. गनेश पटेल के वारिसान आवेदकगण कमांक 1 लगायत 3 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर उसी प्रकार भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए जिस प्रकार स्व. गनेश पटेल अपनी मृत्यु दिनांक 7–7–1976 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर कृषि कार्य करते थे ।

यह तर्क दिया गया है कि स्व. गनेश पटेल अशिक्षित व्यक्ति थे उसे पंजीकृत विक्रयपत्र के बाद ऋण पुस्तिका प्राप्त होने के बाद भूमिस्वामी अधिकार अर्जित होने के बाद अन्य किसी भी प्रकार की जानकारियां राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रदान नहीं की गई, राजस्व रिकार्ड की कम्प्यूटर शाखा से आवेदकों द्वारा वर्ष 2011 में उपरोक्त खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तब राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था । यदि भूमि किसी प्रकार से सीलिंग एक्ट के तहत पारित आदेश द्वारा म0प्र0 शासन में दर्ज की गई थी तब आवेदकों को सूचित करना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व रिकार्ड की शुद्धता रखना कृषक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह राजस्व अधिकारियों का कर्त्तव्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चले सीलिंग प्रकरण कमांक 17/अ–90(बी–3) 1974–75 में शिवराजसिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो जबाव 24.3.76 को पेश किया गया है उसमें स्पष्ट लेख किया गया है कि शिवराजसिंह द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से गनेश प्रसाद पटेल वल्द मोहनलाल पटेल को भूमि विक्रय करदी है और कब्जा खास गनेश पटेल को दे दिया है । अनविभागीय अधिकारी सागर द्वारा स्व. गनेश पटेल को आहूत कर न्यायालय में बुलाया गया गनेश के दोनों विक्रयपत्रों को अनुविभागीय अधिकारी ने सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि शिवराज द्वारा किए गए विक्रयपत्र सीलिंग सीमा को क्षति पहुंचाने के उद्धेश्य से नहीं किए गए ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में गनेश द्वारा दिनांक 27–1–67 के पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की भूमि 2.25 एकड़ के स्थान पर 0.02 डिसमिल भूमि टंकण की त्रुटि से लेख की गई है । यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में टंकण की त्रुटिवश आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि 2.35 के स्थान पर यदि 0.02 एकड़ टंकित हो गया हो उसके लिए आवेदक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उनके द्वारा यह भी कहा गया मार्तण्ड सिंह द्वारा क्रय की गई भूमि में से उसने कुछ भूमि को सीमेंट पाईप फैक्ट्री वालों को विक्रय किया गया । गनेश पटेल द्वारा भूमि क्रय करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया है । अतः जिस समय शिवराजसिंह धारक के

विरूद्ध सीलिंग का प्रकरण प्रारंभ किया गया उस समय वे प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी नहीं थे इसलिए आवेदक के पिता गनेश द्वारा क्रय की गई भूमि को सीलिंग में निकलवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

यह तर्क दिया गया कि गनेश पटेल के निधन के उपरांत उनके वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में विधिवत दर्ज किया गया जो वर्ष 2000–2001 तक दर्ज रहा । गनेश पटेल के निधन के पश्चात वारिसान लगान, डायवर्सन टैक्स इत्यादि अदा करते रहे तथा इन भूमियों पर प्रारंभ से अर्थात 1967 से गनेश तथा गनेश की मृत्यु दिनांक से उनके वारिसान आवेदकगण लगातार काबिज रहकर कृषि कार्य कर रहे हैं । उनकी भूमि सीलिंग में निकलने तथा भूमि पर नजूल शासन का नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर उन्होंने अपर कलेक्टर के समक्ष विधिवत अर्जी देकर रिकार्ड दुरस्ती की प्रार्थना की थी जिस पर से अपर कलेक्टर ने प्रकरण में विधिवत जांच करने के उपरांत दिनांक 18–7–12 को आदेश पारित किया जो न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसे निरस्त करने में आयुक्त ने विधिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के उपरांत आवेदकों के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि को प्रकरण क्रमांक 01 / अ–90 / बी–6 / 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 25–2–1994 द्वारा म0प्र0 शासन नजूल बाह्य दर्ज किया गया है । उक्त आदेश पारित करने के पूर्व भी आवेदकों को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है । जिसे अपर कलेक्टर ने इस न्यायालय से विधिवत पुनरावलोकन की अनुमति लेकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि आयुक्त ने अपर कलेक्टर के प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है और सर्वप्रथम यह आरोप लगाया है कि अपर कलेक्टर द्वारा अधिकारिता के बाहर आदेश पारित किया है जबकि अपर कलेक्टर ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विधिवत कार्यवाही करते हुए राजस्व मंडल से पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त कर तथा सम्पूर्ण जांच कर आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा कहा गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय यह मानते थे कि अपर कलेक्टर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है तब उन्हें स्वयं न्याय की दृष्टि से अपर कलेक्टर के आदेश के

साथ–साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही का भी परीक्षण करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किये जाने से आवेदकगण न्याय से वंचित हुए हैं ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपर कलेक्टर, सागर द्वारा पारित आदेश को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर होना लेख किया है किंतु इस संबंध में कौनसा आदेश / दस्तावेज कूट रचित है इसका कोई उल्लेख नहीं किया है इस कारण न्याय विफल हुआ है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को 2 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में उन्होंने 2000 आर.एन. 1 (उच्च न्यायालय) 1990 आर.एन. 77 (पूर्णपीठ उच्च न्यायालय) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1297 तथा I.L.R. (2011) M.P.1 का संदर्भ देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों एवं आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर निरस्त किया गया है परंतु उनके द्वारा इस प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक एवं विधिक रूप से विचार नहीं किया गया है जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । प्रकरण आयुक्त द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया था तब उन्हें अपर कलेक्टर के आदेश के साथ–साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का भी परीक्षण करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है

कि अधीनस्थ न्यायालय, अपर कलेक्टर के आदेशों के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का भी परीक्षण किया जाये ।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारक शिवराज सिंह द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम मौजा करीला स्थित भूमि सर्वे नं. 19 में से 1.54 एकड़ सर्वे नं. 28/3 में से 0.62 तथा सर्वे नं. 20/2 में 0.07 कुल 2.23 एकड़ तथा सर्वे नं. 22/2 में से 23"x40" वर्गफुट लगभग 0.02 एकड आवेदकगण के पिता गनेश वल्द मोहनलाल पटेल को सीलिंग एक्ट प्रभावशील होने के पूर्व ही दिनांक 27–1–67 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दिया गया था और विक्रयपत्र के आधार पर गनेश पटेल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में दिनांक 23–6–1968 को दर्ज किया गया । वर्ष 1968 में नामांतरण होने से लेकर वर्ष 2000–2001 तक प्रश्नाधीन भूमि पर क्रेता गनेश एवं उसकी मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान (आवेदकों का नाम) राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा । इसी बीच उक्त भूमि का बटवारा भी आवेदकों के मध्य किया गया । अतः उक्त भूमि को किसी भी स्थिति में अतिशेष घोषित नहीं किया जा सकता था । फिर भी उक्त भूमि में से 2.03 एकड़ भूमि को धारक शिवराज सिंह के विरूद्ध चले सीलिंग प्रकरण में मोजा पड़रई की 9.11 एकड़ भूमि के साथ अतिशेष घोषित किया गया है । मौजा पड़रई की भूमि भूमिहीनों को वंटित कर दी गई तथा मौजा करीला की 2.03 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र में आ जाने के कारण वर्ष 1994 में अपर कलेक्टर द्वारा उसे नजूल भूमि के रूप में शासन के नाम दर्ज कर दी गई । सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अतिशेष घोषित करना तथा अपर कलेक्टर द्वारा उसे म0प्र0 शासन नजूल बाह्य दर्ज करना पूर्णतया अवैधानिक कार्यवाही है ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 20–4–76 में क्रेता गनेश के उपस्थित होने एवं उसके द्वारा क्रय की गई भूमि के बैनामा पेश किए जाने का उल्लेख है । तथा आदेश पत्रिका दिनांक 29–4–76 के मार्जिन में गनेश पटेल द्वारा बैनामा वापिस प्राप्त किए जाने का उल्लेख है । सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–76 में गनेश द्वारा क्रय की ग्राम करीला की प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र अमान्य कर दिए गए हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है बल्कि आदेश में अनुविभागीय

अधिकारी ने धारक द्वारा गनेश के पक्ष में ग्राम करीला की भूमि संबंधी पंजीकृत बैनामा दिनांक 27–1–67 का उल्लेख किया है लेकिन यह कहा है कि उक्त पंजीकृत बैनामा से ग्राम करीला की 0.02 डि. भूमि विक्रय की गई है, जो सही नहीं है क्योंकि जो विक्रय पत्र दिनांक 21–7–67 का अभिलेख में उपलब्ध है उसमें धारक द्वारा ग्राम करीला तहसील व जिला सागर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 19 में से रकबा 1.54 खसरा नं. 28 / 3 रकबा 0.62 एवं खसरा नं. 20 / 2 रकबा 0.07 एकड़ कुल 2.23 एकड़ एवं सर्वे नं. 22 / 2 में से 23"x40" वर्गफुट लगभग 0.02 को विक्रय किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि टंकण की त्रुटिवश अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में रकबा 2.25 के स्थान पर 0.02 डिसमिल भूमि अंकित हो गई है, जिसके लिए आवेदकगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । धारक द्वारा भी गनेश को उक्त भूमि विक्रय किए जाने की बात निरंतर अपने जबाव में कही जाती रही है । ऐसी स्थिति में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि टंकण की त्रुटि होने के कारण भूमि की गणना करने में त्रुटि हुई है । अतः आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि अतिशेष घोषित करने के आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है ।

8 / अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि गनेश पटेल द्वारा क्रय की गई भूमि को अतिशेष घोषित किए जाने के पश्चात जब उसके वंटन की बात आई तब यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि धारक द्वारा गनेश पटेल को विक्रय करदी गई है इस कारण उसका वंटन नहीं किया जा सकता इस आशय का तहसीलदार का प्रतिवेदन दिनांक 7–3–87 अभिलेख के पृष्ठ 243 लगायत 245 पर संलग्न है । इस प्रतिवेदन के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23–3–87 द्वारा से धारक शिवराजसिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है, कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कार्यवाही में यह पाया गया है कि आपके द्वारा ग्राम करीला कि 2.03 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेच दी है इस कारण भूमि वंटन के लिए शेष नहीं बचती है । यह भी लेख किया गया है जबाव के अभाव में यह समझा जायेगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो पटवारी हल्का से आपकी ग्राम पड़रई कोई भूमि अनुपात में कब्जे में

लेकर बंटन की कार्यवाही की जायेगी । इसके उत्तर में जो जबाव धारक द्वारा पेश किया गया है उसमें लेख किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र वैध हैं अतः धारक की केवल 9.11 एकड़ भूमि ही सीलिंग सीमा से अधिक निकलती है जो कि अनावेदक ग्राम पड़रई की शासन में वेष्ठित कर चुका हे । इस जबाव पर से प्रकरण विचार हेतु नियत किया जाता रहा और भूमि के वंटन के संबंध में पत्र व्यवहार भी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के मध्य होते रहे । दिनांक 29–6–88 की आदेश पत्रिका के अनुसार पटवारी प्रतिवेदन पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी ने ग्राम करीला के क्रेताओं को आहूत करने के निर्देश दिए । परंतु कोई सूचना पत्र आवेदकगण को दिया गया हो यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं है और ना ही कोई सूचनापत्र अभिलेख में संलग्न है । अभिलखे के पृष्ठ 271 पर सागर सीमेंट की ओर से प्रबंधक आर.के. जैन जिनके द्वारा ग्राम करीला के प्रश्नाधीन सर्वे नं. 19/2 के भाग को क्रय किया गया था का उत्तर संलग्न है, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा क्रय की गई भूमि का विवरण तथा गनेश द्वारा क्रय की गई भूमि का उल्लेख किया गया है साथ ही यह निवेदन किया गया है कि अतिशेष घोषित की गई भूमि का अधिग्रहण धारक की अन्य भूमि से किया जाये । इसके उपरांत प्रकरण सक्षम अधिकारी के न्यायालय में चलता रहा और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस एवं स्पष्ट निर्णय न लेते हुए दिनांक 6–2–89 को आदेश पत्रिका पर यह उल्लेख किया गया कि धारक की इच्छा अनुसार दिए गए चयन सूची में जब तक धारक स्वयं न चाहे परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उन्होंने ग्राम करीला की भूमि क्रमांक 19/2, 22/3 एवं 28/2 के कुल रकबे में से ही अतिशेष घोषित भूमि 2.03 एकड़ का कब्जा लेने हेतु तहसीलदार को लिखे जाने का आदेश दिया । इस आदेश में यह भी लेख किया गया कब्जा उस भाग का लिया जाये जहां कोई मकान या स्थाई संरचना न हो एवं भूमि खाली हो । निर्माण कार्य जिस भाग में हो उसका कब्जा न लिया जाये । जबकि इस प्रकरण में धारक द्वारा ग्राम आवेदकों को विक्रय की गई करीला की भूमि छोड़ने की इच्छा जाहिर की गई थी ऐसा कोई दस्तावेज/आवेदन अभिलेख में नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को अपना पक्ष रखे बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा धारक की इस आपत्ति पर कि उसके द्वारा करीला की उक्त भूमि

वर्ष 1967 में ही विक्रय की जा चुकी थी पर कोई निर्णय नहीं लिये बिना दिनांक 6–2–89 को कब्जा लेने का आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि धारक द्वारा वर्ष 1967 में आवेदकगण को विक्रय की गई भूमि की गणना धारक की भूमि में नहीं की जा सकती थी और यदि उक्त भूमि को धारक की गणना से पृथक रखा जाता तो धारक की कुल अतिशेष घोषित की गई भूमि 11.14 एकड़ के स्थान पर 9.11 एकड़ भूमि ही धारक की सीलिंग सीमा से अधिक घोषित होती और धारक की ग्राम पड़रई स्थित 9.11 एकड़ भूमि शासन में वेष्ठित की जाकर तत्समय भूमिहीनों को वंटित की जा चुकी है । अतः जहां तक आवेदकगण के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि रकबा 2.03 एकड़ को अतिशेष घोषित करने का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है ।

9/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–90/बी–6/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 22–4–1994 द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की ग्राम करीला स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम काटकर म0प्र0 शासन नजूल बाह्य दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं, यह आदेश बिना आवेदकों को किसी प्रकार की कोई सूचना दिए पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत है यदि प्रकरण में तत्कालीन राजस्व अभिलेखों को देखा जाता तो निश्चित ही आवेदकगण को सूचना दी जाती और वह आकर अपने विक्रयपत्रों को दिखाकर अपना अधिकार पा सकते थे जो नहीं हुआ । अतः अपर कलेक्टर का उक्त आदेश दिनांक 22–4–1994 भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

10/ जहां तक अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है उनके न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा इस न्यायालय से तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–90/बी–6/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 22–4–1994 के पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त की गई थी परंतु उनके द्वारा उक्त आदेश के साथ–साथ सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी

विचार कर निर्णय किया गया है । उनका आदेश यद्यपि गुणदोषों पर सुसंगत है परंतु चूंकि उन्हें सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने का अधिकार नहीं है, इस कारण उनके आदेश को भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

11/ जहां तक विद्वान आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार रहित होने के कारण निरस्त किया गया है किंतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–4–76 एवं उसके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में हुई अग्रिम कार्यवाही तथा वर्ष 1994 में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि को नजूल घोषित करने संबंधी कार्यवाही विधिसंगत है या नहीं इस पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया है । चूंकि प्रकरण उनके द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया था ऐसी स्थिति में उन्हें अपर कलेक्टर के आदेश के साथ–साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के उपरांत हुई अग्रिम कार्यवाही का विधिवत एवं न्यायिक रूप से परीक्षण कर अपने निष्कर्ष निकालना चाहिए थे किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिससे न्यायदान में बाधा आई है । इस कारण विद्वान आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–8–14, अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–12 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–76 तथा उसके परिप्रेक्ष्य में की गई आगे की कार्यवाही का वह अंश जिसके द्वारा आवेदकगण के भूमिस्वामित्व की ग्राम करीला स्थित भूमि सर्वे नं. 19, सर्वे नं. 28/3 एवं सर्वे नं. 20/2 का अंश रकबा 2.03 एकड़ (जो आवेदक कमांक 1 एवं 2 के पिता तथा आवेदक कं0 3 के पति मृतक गनेश पटेल द्वारा धारक शिवराजसिंह से पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 27–1–67 के द्वारा क्रय की गई है) को अतिशेष घोषित करने संबंधी सीमा तक निरस्त किया जाता है साथ ही अपर कलेक्टर द्वारा प्र0क0

01 / –90 / बी–6 / 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 22–4–94 भी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन उक्त भूमि पर आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर